संख्या–363 / 14–2–2019–800(118) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 21 **फरवरी, 2019**

विषय :– सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन अर्थात 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी / यूपी / 02 / 31 / 2018 / एफसी / 45 दिनांक 18.04.2018 तथा संख्या–8बी / यूपी / 02 / 31 / 2018 / एफसी / 219 दिनांक 20.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1563 / 11–सी–एफपी / यूपी / IRRIG / 20269 / 2016 दिनांक 06.02.2019 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 06.02.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं / अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–363(1) / 14–2–2019–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter